कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,सम्भल।

आदेश–शि0सहा0/मान्यता/3598-604/2016–17 दिनॉक 31-05-2016

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक

न्यू सत्यम् एकेडमी रामबाग रोड कैथल गेट

नगर क्षेत्र चन्दौसी जनपद सम्भल।

विषय– <u>निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।</u>

महोदय/महोदया,

मण्डलीय मान्यता समिति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नगर शिक्षा अधिकारी, चन्दौसी एवं विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के अनुसार दिनॉक 01.07.2013 से 31.06.2016 तक मान्यता प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01.04.2016 से कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 (अग्रेंजी माध्यम) तक के लिए अंनतिम अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

<u>उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं–</u>

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूम में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही हैं।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम2010(उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तथा आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धोंके अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा 15 के निम्न उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा,,या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - II. किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा और न ही मानसिक उत्पीडन किया जायेगा ।
   - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
   - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती हैं परन्तु यह औंर कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐं नहीं हैं पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं,अर्जित करेगें ।
   - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।
   - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजि अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्या के आधार पर पाठयकम का पालन करेंगें।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाये रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 965 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र– 402 वर्ग मी0
प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय–सहभण्डारागार के लिए कक्ष–01
बालक ,बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–हॉ
पेयजल सुविधा–हॉ
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–हॉ

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलायें जायेंगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1860 (1860का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति ,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता **कोड संख्याक – 158** हैं, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यलय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करे।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता हैं जो समय समय पर शिक्षा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशों का पालन करता हैं, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ,जो विहित की गई है।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातो मे कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो बिना नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सुन्दरम सक्सैना)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सम्भल।

पृ0सं0:–शि0सहा0/मान्यता/3598-604 /2016–2017 दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सम्भल।
5. सबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद सम्भल।
6. कार्यालय गठित पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सम्भल।